राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2013–14/ 345-492 दिनांक 15/07/13

परिपत्र

विषय : यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत राजकीय महाविद्यालय शिक्षको को देय 40 प्रतिशत राशि के भुगतान बाबत।

सन्दर्भ :– प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के पत्र कमांक प.1 (3) शिक्षा–4/2009 दि. 24.6.2013.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत देय 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । अतः समस्त राजकीय महाविद्यालयों/कार्यालयों में दिनांक 1.1.06 को कार्यरत राजकीय महाविद्यालय शिक्षको को यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत दिनांक 1.1.06 से 30.9.2009 तक के बकाया एरियर की 40 प्रतिशत राशि के भुगतान की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है ।

1. यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत 40 प्रतिशत राशि का भुगतान आपके महाविद्यालय/कार्यालय को वित्त वर्ष 2013–14 के लिये नियमित संवेतन मद में उपलब्ध कराये गयें बजट से किया जाना है। यदि आपके महाविद्यालय में इस भुगतान के लिये राशि उपलब्ध नही हो तो अतिरिक्त राशि की मांग प्रस्तुत की जावेगी ।
2. देय एरियर राशि को सम्मिलित करते हुए वित्त वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट अनुमान (RE) में आवश्यक प्रावधान कराने की जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी इस बात की सुनिश्चिता कर ले कि किसी कार्मिक को 40 प्रतिशत देय ऐरियर राशि का दोहरा भुगतान नहीं हो ।
4. एरियर राशि का जिस महाविद्यालय द्वारा भुगतान किया गया है उसी महाविद्यालय के द्वारा यू.जी.सी. शिक्षको को दिनांक 1.1.06 से 31.3.10 तक की अवधि के लिये भुगतान किये गये एरियर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में दिनांक 30.7.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जावेगा ।
5. देय एरियर राशि मे से नियमानुसार आयकर की कटोती करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. एरियर का भुगतान, राज्य कर्मचारियों को एरियर का नगद भुगतान करने सम्बन्धी परिपत्र प.11(7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.9.08 के अनुसार किया जावेगा।

संलग्न :– प्रपत्र

(नवीन जैन)
निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2013–14/ 345-492 दिनांक 15/07/13
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र कमाक प.1 (3) शिक्षा –4/2009 दि. 24.6.2013 की पालना में
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुरूष/महिला/जनजाति/ विधि
3. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर।
4. कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कालेज शिक्षा राज0 जयपुर।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. श्री धीरेनद्र देवर्षी व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

zzE:\GOYAL\Allotment - 13-14.doc

<u>प्रपत्र</u>

यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत राजकीय महाविद्यालय शिक्षको को भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

नाम महाविद्यालय /कार्यालय..

क.सं.	नाम कर्मचारी	एरियर के रूप मे दिनांक 1.1.06 से 31.3.10 तक की अवधि के लिये भुगतान की गई कुल राशि	विशेष विवरण
1	2	3	
1			
2			
3			
4			
	कुल योग		

आवश्यक प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय /कार्यालय में किसी शिक्षक का यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत देय एरियर राशि बकाया नही है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि शिक्षक को पूर्व में 40 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान नहीं हुआ है ।

प्राचार्य